रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2015/पौष 15, 1936

No. 06] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2015/PAUSHA 15, 1936

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2015

सं. एल 1/94–के.वि.वि.आ0/2011.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(2)(ध) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियम' कहा गया है) का सशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे और 31.03.2017 तक वैध होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 41 का संशोधनः**

मूल विनियम के विनियम 41 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

''फॉसिल ईंधन का उपयोग 31.03.2017 तक वार्षिक आधार पर कुल कैलोरी मान के 15% की सीमा तक सीमित होगा।''

3. **मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधनः**

मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

"(ग) रैंकिन साइकल तकनीक पर आधारित बायोमास पावर परियोजना– रैंकिन साइकल तकनीक पर आधारित नये संयंत्र एवं मशीनरी का प्रयोग करने वाली और बायोमास ईंधन स्त्रोतों का प्रयोग करने वाली बायोमास पावर परियोजनाएं, परंतु यह कि फासिल ईंधन का उपयोग 31.03.2017 तक वार्षिक आधार पर कुल कैलोरी मान के 15% तक निर्बंधित हो।"

[विज्ञापन:III / 4 / असा. / 150 / 14]

टी. राउत, प्रमुख (विधि)

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, क्रम सं. 20 में 7 फरवरी 2012 को प्रकाशित किये गए थे तथा उनका पहला संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड–4, क्रम सं. 92 में 21 मार्च 2013 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2014

No. : L-1/94/CERC/2011.—In exercise of powers conferred under Section 61 read with Section 178 (2) (s) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2012, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:—

1. **Short title and commencement:**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (Second Amendment) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette and will remain valid till 31.03.2017.

2. **Amendment of Regulation 41 of the Principal Regulations:**

Regulation 41 of the Principal Regulation shall be substituted as under:

"The use of fossil fuels shall be limited to the extent of 15% in terms of calorific value on annual basis, till 31.03.2017."

3. **Amendment to the Regulation 4 of the Principal Regulations:**

Clause (c) of the Regulations 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(c) Biomass power project based on Rankine cycle technology – Biomass power projects using new plant and machinery based on Rankine cycle technology and using biomass fuel sources, provided use of fossil fuel is restricted only up to 15% in terms of calorific value on annual basis, till 31.03.2017.

[ADVT-III/4/Exty./150/14]

T. ROUT, Chief (Legal)

Note: The Principal Regulations were published on 7th February, 2012 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section – 4, Sr. No. 20 and the First Amendment Regulations were published on 21st March, 2013 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section - 4, Sr. No. 92.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.